डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

पत्र क्र0 लेखा / स्व प.क.नि.यो. / 2019 / 14 दिनांक 11 दिसम्बर 2019
13

अधिसूचना

स्व परिवार कल्याण निधि योजना जो कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा संचालित है, उसमें निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :–

क्र0	स्थिति	वर्तमान जमा राशि व स्थिति	परिवर्तित राशि व स्थिति
1	सेवा निवृत्त / त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से	कुल जमा राशि पर बचत खाते की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज सहित भुगतान	कुल जमा राशि पर बचत खाते की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज सहित भुगतान
2	सेवा अवधि में मृत्यु होने पर	रूपये 7,00,000–00 (सात लाख)	10,00,000–00 (दस लाख)

इस योजना में सम्मिलित शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की माह दिसम्बर 2019 के वेतन से रू. 700–00 के स्थान पर रू. 1000–00 मासिक कटौती की जावेगी।

इसके साथ ही परिवर्तित दरों से किया जाने वाला भुगतान तीन माह पश्चात् अर्थात 01.03.2020 से लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन तीन माह की अवधि के अंदर अर्थात 29.2.2020 तक हो जाता है, तो उसे बढ़ी हुई दर का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। उसे पूर्व में प्रभावी दर के आधार पर रू. 7,00,000–00 (सात लाख रूपये मात्र) का ही भुगतान देय होगा।

अन्य नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के प्रस्ताव क्र. 20 दिनांक 24 जनवरी 1988 के अनुसार ही रहेगी।

स्व–परिवार कल्याण निधि योजना में विश्वविद्यालय का कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है।

आदेशानुसार,
11/12
प्रभारी कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति जी के सचिव– कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सहायक–कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. समस्त प्रशासनिक डीन एवं डीन अध्ययनशाला।
4. अध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक
5. परीक्षा नियंत्रक.
6. समस्त उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
7. प्रभारी–वेतन / एफ.बी.एल.आई.एस. अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु।
8. समिति शाखा–कृप्या उक्त को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. विश्वविद्यालय वेबसेल–वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

11/12
प्रभारी कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर